बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। संकल्प ।।

विषय :–ADB (ऐशियन डेवलपमेंट बैंक) सम्पोषित भागलपुर जलापूर्ति परियोजना फेज–2 अनुमानित लागत कुल–$ 38.42 मिलियन यू०एस० डॉलर (लगभग 253.57 करोड़ रू०) (दो सौ तिरेपन करोड़ संतावन लाख रू0 मात्र) की योजना के कार्यान्वयन एवं उसपर संभावित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।

बिहार के शहरों के विकास के सैद्धान्तिक निर्णय के तहत आधारभूत संरचनाओं की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा ADB से 200 मिलियन यू०एस० डॉलर की वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है। दिनांक– 30 एवं 31 जनवरी, 2012 को ADB, कार्यालय नई दिल्ली में सम्पन्न त्रिपक्षीय बैठक में वित्तीय सहायता प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। उक्त बैठक में राज्य के चार शहरों यथा भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में आधारभूत संरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता 200 मिलियन यू०एस० डॉलर प्राप्त करने एवं राज्य सरकार की ओर से 86 मिलियन डॉलर की सहायता उपलब्ध कराने पर सहमति हुई। ADB से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, बिहार का अभिमत प्राप्त है।

योजना के अधीन भागलपुर एवं गया जलापूर्त्ति एवं गया सिवरेज योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। सम्प्रति भागलपुर जलापूर्त्ति योजना कार्य चालू है। गया जलापूर्त्ति योजना प्रोजेक्ट–1 एवं 2 पर स्वीकृत्ति प्राप्त कर निविदाऐं आमंत्रित कर ली गयी है। भागलपुर जलापूर्ति परियोजना फेज–2 ADB योजना के Tranche-II में शामिल है। ADB Consultant की परामर्शी सेवा से कार्यान्वयन की रूप रेखा इत्यादि तैयार की गयी है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बुडको), पटना को कार्यान्वयन एजेंसी घोषित करते हुए भागलपुर जलापूर्ति योजना का कार्य सौंपा गया है।

भागलपुर जलापूर्ति (Bulk Water) परियोजना की अनुमानित लागत 38.42 मिलियन यू०एस० डॉलर (लगभग 253.57 करोड़ रू०) इसकी गणना 1 US Dollar = 66.00 रूपये के आधार पर की गयी है। इस परियोजना में Major head wise estimated Amount निम्नवत है :–

क्र0सं0	निर्माण कार्य	लागत राशि
(क)	इन्टेक वेल/जैक वेल का निर्माण	26.65 करोड़
(ख)	वाटर ट्रिटमेंट प्लांट का निर्माण	60.25 करोड़
(ग)	रॉ–वाटर मेन का निर्माण	12.59 करोड़
(घ)	क्लियर वाटर मेन का निर्माण	44.52 करोड़
(ङ)	इलेक्ट्रिकल एवं मैक्निकल	15.93 करोड़
(च)	स्काडा एवं ओटोमेशन	5.26 करोड़
(छ)	इस्कलेशन	16.52 करोड़
(ज)	ऑपरेशन एण्ड मेंटेनेन्स (10 साल के लिए)	66.85 करोड़
(झ)	प्रोभिजनल सम	5.00 करोड़
भागलपुर जलापुर्ति योजना फेज–2 की कुल लागत		**253.57 करोड़**

इस परियोजना का तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियंता–सह–अपर कार्यक्रम निदेशक, बुडको के स्तर से किया गया है।

उक्त परियोजना के कार्यान्वयन कि लिए Intake Well, Jack well,Switch Yard, Water Treatment Plant इत्यादी के लिए भूमि उपलब्ध है।

2. **योजना का उद्देश्य :–**

भागलपुर जलापूर्ति (वितरण) ADB Loan no. 2861 IND के अंतर्गत स्वीकृत है एवं जलापूर्ति वितरण का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा Bulk Water इस परियोजना से उपलब्ध कराया जाऐगा। योजना के क्रियान्वयन से नगर निकाय की जनता को 24x7 स्वच्छ पेयजल नल द्वारा पूर्ति की जाऐगी।

3. भागलपुर जलापूर्ति परियोजना फेज – 2 का क्रियान्वयन एक पैकेज में किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना अंतर्गत गंगा नदी पर वाटर इंटेक, जैकवेल, 33 Kva सबस्टेशन, 2550 मीटर Raw Water Main, 90 MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 9.1 ML का स्वच्छ जलाशय एवं 28.7 कि०मी० ट्रान्समीशन लाईन निर्माण का प्रावधान रखा गया है। जलापूर्ति परियोजना का कार्य 01.04.2018 से प्रारंभ होगा। भौतिक कार्य 30 महीनों में अर्थात् 30.09.2020 को पूर्ण होगा तथा O & M 01.10.2020 से प्रारंभ होकर 30.09.2030 तक मान्य होगा।

4. **योजना के लिए आवश्यक निधि के स्त्रोत** (यथा राज्यांश, केन्द्रांश, शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना, राज्य योजना बाह्य संपोषित इत्यादि) :–योजना के लिए स्वीकृत्त राशि का 71% ADB से ऋण के रूप में एवं 29% राज्य सरकार द्वारा परियोजना अवधि 31.12.2021 तक वहन किया जाना है। तत्पश्चात् पूरी राशि राज्य सरकार/निगम द्वारा वहन की जायेगी। इस प्रकार योजना की कुल राशि 253.57 करोड़ रूपये में से 138.54 करोड़ रूपये ADB से ऋण एवं 115.03 करोड़ रूपये राज्य सरकार के द्वारा देय होगा। राशि की वर्षवार व्यय विवरणी निम्नलिखित है–

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	राज्यांश		ADB से ऋण		वित्तीय वर्ष में कुल राशि (राशि करोड़ में)
		राशि करोड़ में	राशि प्रतिशत में	राशि करोड़ में	राशि प्रतिशत में	
1	2018–19	16.25	29	39.77	71	56.02
2	2019–20	21.65	29	53.03	71	74.68
3	2020–21	17.23	29	42.18	71	59.11
4	2021–22	3.12	29	3.56	71	6.68
5	2022–23	6.68	100	0.0	0	6.68
6	2023–24	6.68	100	0.0	0	6.68
7	2024–25	6.68	100	0.0	0	6.68
8	2025–26	6.68	100	0.0	0	6.68
9	2026–27	6.68	100	0.0	0	6.68
10	2027–28	6.68	100	0.0	0	6.68
11	2028–29	6.68	100	0.0	0	6.68
12	2029–30	6.68	100	0.0	0	6.68
13	2030–31	3.34	100	0.0	0	3.34
	Total	**115.03**		**138.54**		**253.57**

Operation & Maintenance :- इस परियोजना का O & M 30.09.2030 तक संवेदक द्वारा ही किया जाना है तथा व्यय परियोजना से ही होगा। 31.12.2021 तक O & M व्यय परियोजना से वहन किया जायेगा तथा परियोजना की समाप्ति अवधि पश्चात् O & M राज्य सरकार/नगर निगम भागलपुर द्वारा वहन किया जायेगा।

5. इस योजना की DPR – Design & Supervision Consultant (DSC) द्वारा तैयार की गयी है, जिसमें योजना का प्राक्कलन संलग्न किया जायेगा। प्राक्कलन के साथ आवश्यक ड्राईंग, डिजायन एवं नक्शा भी DSC द्वारा तैयार किया गया है।

6. **योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक ढांचा निम्नानुसार होगा :– BUIDCo के स्तर पर PMU का गठन किया जा चुका है।**

क्र० सं०	पदनाम	प्रस्तावित पद संख्या
(i)	कार्यक्रम निदेशक	01
(ii)	अतिरिक्त कार्यक्रम निदेशक	01
(iii)	मुख्य लेखा पदाधिकारी	01
(iv)	वित्त पदाधिकारी	01
(v)	कार्यपालक अभियंता	02
(vi)	सहायक अभियंता	04
(vii)	कनीय अभियंता	03
(viii)	पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन समन्वयक	01
(ix)	परियोजना समन्वयक–सह–कार्यालय प्रबंधक	01
(x)	संस्थागत क्षमता निर्माण पदाधिकारी	01
(xi)	एकरारनामा प्रबंधन विशेषज्ञ	01
(xii)	लेखापाल	01
(2) परियोजना स्थल भागलपुर स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन इकाई (PIU) का गठन किया जाना है, जिसमें निम्नलिखित Professionals होंगे :–		
(i)	अधीक्षण अभियंता	01
(ii)	कार्यपालक अभियंता	01
(iii)	सहायक अभियंता	03
(iv)	कनीय अभियंता	03
(v)	सेफ गार्ड पदाधिकारी	01
(vi)	लेखापाल	01

PMU एवं PIU को सहयोग देने के लिए PMC एवं DSC दो सलाहकार के रूप में कार्यरत है।

योजना के लिए PMU पहले से गठित है तथा Design & Supervision Consultant (DSC) एवं Programme Management Consultant का चयन कर लिया गया है।

7. भागलपुर नगर निगम के क्षेत्राधीन आवासित नागरिकों को राष्ट्रीय मापदण्डों के अधीन जलापूर्ति की व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना से नागरिकों को 24X7 स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाएगी।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय भागलपुर, भागलपुर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

31/8/2017
(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक :—03/ADB-05-01/2016 2010 न0वि0एवंआ0वि0, दिनांक—04/9/17

प्रतिलिपिः—अधीक्षक राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी0डी0 संलग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार रापपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

31/8/2017
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :—03/ADB-05-01/2016 2010 न0वि0एवंआ0वि0, दिनांक—04/9/17

प्रतिलिपिः—मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/प्रबंध निदेशक, बुडको/अपर सचिव—सह—निदेशक, बुडा के आप्त सचिव/BGCMS एवं मिशन निदेशक, NMCG, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/8/2017
सरकार के प्रधान सचिव।